राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT)
कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर
email Id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-2227033

Azadi Ka Amrit Mahotsa

क्रमांकः एफ 61(350)SSAAT /लोकपाल चयन/2024–25 पार्ट–4/964 जयपुर, दिनांक 11.07.2025

जिला कलेक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक ई.जी.एस.
जिला परिषद बीकानेर, झुंझुनू, सीकर,
बाड़मेर, डूंगरपुर, राजसमंद, भरतपुर,
जैसलमेर, बांसवाड़ा, भीलवाडा।

विषयः– नरेगा योजनान्तर्गत प्रभावी लोकपाल व्यवस्था एवं जिला स्तर पर सूचना, शिक्षा, संचार (आई.ई.सी.) करवाये जाने बाबत्।

संदर्भः– लोकपाल नियुक्ति आदेश क्रमांक एफ 61(350)SSAAT /लोकपाल चयन/2024–25 पार्ट–4/837, जयपुर, दिनांक 19.06.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपके जिलों में लोकपाल की नियुक्ति की गयी है। चयनित लोकपाल के कार्यालय को स्थापित करने एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु स्पष्ट किया जाता हैः–

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 20.03.2023 (संलग्न) द्वारा जारी गाइडलाईन के क्लॉज 4, 4.1, 4.2, एवं 4.5 में लोकपाल का पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में, क्लॉज 6, 6.1 एवं 6.2 में लोकपाल कार्यालय को स्थापित करने एवं प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान है तथा क्लॉज 7, 7.1 एवं 7.2 में उनके लिये टी.ए, डी.ए, ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था, कार्यालय व्यय एवं बैठक शुल्क आदि का निम्नानुसार प्रावधान अंकित है।

4. **Remuneration**

4.1 Subject to any notification by the State Government, the Ombudsman shall be allowed Compensation, in the form of a fee, of Rs. 2250/- (Two thousand two husband fifty) per sitting with maximum upper limit of Rs.45000/-(Forty five thousand) per month.

4.2 sitting means per day functioning, irrespective of number of cases handled and its duration in the terms of working hours. A sitting could be for a part a day also. All sittings should be properly documented and should be justified by the work discharged. The frequency of sitting by Ombudsman shall be need based and cannot be fixed. The place of sitting may be desided by the Ombudsman taking into consideration the concenience of MGNREGAS workers concerned.

4.5 Wherever Ombudsman wants to visit any part of the district for the purpose of conducting Field enquiry, the DPC shall provide suitable transport facility.

6. **Location of Office and Administrative Support**

6.1 The Office of MANREGA Ombudsman shall be located at the District Headquarteters.

6.2 Technical and administrative support will be provided by the DRDA or any other body specified the State Government in this behalf. All necessary support to enable the Ombudsaman to carry out the assigned functions, including support staff, office equipments, complaints box, and telephone helpline etc. shall be provided to the Ombudsman by the district authority specified by the State Government. The State Government shall provide necessary legal support to cases in Courts relating to actions taken in capacity by the Ombudsman.

7. **TA/DA and Transport**

7.1 TA/DA at rates admissible to class-1 officers of the States Government may be allowed. State Government may provide a vehicle from its local pool to an Ombudsman for official purpose as per need. However, no new vehicle can be purchased for the use of Ombudsman from MGNREGA fund. In case of travel by Ombudsman in his/her own or hired vehical for official purpose, district concerned may reimburse the cost of travel, at the rates fixed by the State Government.

7.2 Office expenditure, sitting fee and TA/DA etc. incurred on the office of Ombudsman shall be borne by States from 6% administrative expenditure permitted under section 22 (1) (C) of the MANREGA .

विस्तृत जानकारी हेतु भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन दिनांक 20.03.2023 की प्रति सलंग्न कर निर्देशित किया जाता है कि लोकपाल कार्यालय को स्थापित करने तथा समय–समय पर उन्हे बैठक शुल्क एवं भत्ते आदि दिये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही गाइडलाईन के प्रावधानुसार करवाना सुनिश्चित करें साथ ही सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के शासी निकाय की दिनांक 04.11.2022 को सम्पन्न बैठक में यह निर्देशित किया गया है कि लोकपाल के कार्यप्रणाली के संबंध में उचित सूचना, शिक्षा, संचार (आई.ई.सी.) करवायें ताकि उक्त व्यवस्था से आमजन परिचित हो और आवश्यकता होने पर लाभ प्राप्त कर सके।

अतः इस संबंध में आपके जिलें में प्रभावी लोकपाल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु जिलें में सूचना, शिक्षा, संचार (आई.ई.सी.) करवाये एवं प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करावे।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(श्रेया गुहा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,राजस्थान

क्रमांकः एफ 61(350)SSAAT /लोकपाल चयन / 2024–25 पार्ट–4 / 965-66 जयपुर, दिनांक 11.07.2025

प्रतिलिपि :–निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त जिला कलेक्टर जिला कार्यक्रम समन्वय ईजीएस, जिला परिषद बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, बाड़मेर, डूंगरपुर, राजसमंद, भरतपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा एवं भीलवाडा को पालनार्थ।
2. जिला बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, बाड़मेर, डूंगरपुर, राजसमंद, भरतपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा एवं भीलवाडा के लोकपाल मनरेगा राज0 को सूचनार्थ प्रेषित है।

(मोहम्मद मोहसिन खान)
निदेशक **(SSAAT)**

C:\DARAB SINGH\DARAB SINGH\SSAAT\LOKPAL\15 lokpal 2024\Letter 1.docx